निर्णय ब इजलास कल्पना अग्रवाल आई.ए.एस. अपीलीय अधिकारी (कलक्टर), कोटपूतली बहरोड़

प्रकरण संख्या 48/2025 (सूचना का अधिकार अधिनियम 2005)

प्रतापसिंह एडवोकेट कोर्ट कैम्पस, बहरोड़, जिला कोटपूतली–बहरोड.

अपीलार्थी

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली बहरोड़ ।

प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19 (1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005.

निर्णय   दिनांक 07.04.2025

1. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली–बहरोड़ से सूचना के अधिकार के तहत सूचना उपलब्ध नहीं कराने से यह अपील पेश कर वांछित सूचना दिलाने का अनुरोध किया है।
2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी सूचना का अधिकार शाखा अतिरिक्त कलक्टर कोटपूतली बहरोड़ को अपील मीमों की फोटो प्रति प्रेषित की जाकर बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया, अपीलार्थी अनुपस्थित रहा।
3. पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।
4. राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी सूचना का अधिकार शाखा अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली बहरोड द्वारा अपने पत्र क्रमांक विधि/2025/597 दिनांक 07.04.2025 के द्वारा अवगत कराया कि राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा आवेदनकर्ता से माननीय कोर्ट का नाम एवं रिट की प्रति चाही गई थी जो आदिनांक तक अप्राप्त है। उक्त के क्रम में जिला कलक्टर अलवर से संधारित पत्रावली प्राप्त हुई है। प्राप्त पत्रावली अनुसार न्यायालय वक्फ अधिकरण, ज्योति नगर, जयपुर वाद संख्या 09/2015 उनवान हाफीज नूरूद्दीन श्री अब्दुल गफूर उर्फ अब्दुल बनाम राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर अलवर व अन्य प्राप्त हुई है। इस पत्रावली का निर्णय माननीय न्यायालय दिनांक 22.10.2018 को किया जा चुका है। उक्त पत्रावली में जिला कलक्टर अलवर द्वारा स्थाई अधिवक्ता माननीय राजस्थान वक्फ अधिकरण जयपुर श्री रामवतार सनवार को नियुक्त किया गया था। उक्त प्रकरण में जिला कलक्टर अलवर के पत्रांक विधि/2015/2381–85 दिनांक 05.06.2015 द्वारा प्रभारी अधिकारी उपखण्ड अधिकारी नीमराणा को बनाया गया था। प्राप्त आवेदन पत्र में अंकित बिन्दु संख्या 02 लगा. 04 की सूचना कार्यालय उपखण्ड अधिकारी नीमराणा से संबंधित है। अंत में राज्य लोक सूचना अधिकारी ने उपस्थित होकर जाहिर किया कि उत्तर की एक प्रति अपीलार्थी को भिजवाते हुए उपखण्ड अधिकारी नीमराणा को आवेदन पत्र में अंकित बिन्दु संख्या 02 लगा. 04 की सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध करवाने हेतु निर्देशित कर दिया गया है।
5. अपीलार्थी को भी जरिये नोटिस सूचित किया गया लेकिन अनुपस्थित रहा। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र के संदर्भ में अति0 जिला कलक्टर जिला कोटपूतली–बहरोड़ द्वारा संबंधित अधिकारी को सूचना देने हेतु निर्देशित किया गया है। चूंकि प्रकरण में राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के संबंध में कार्यवाही हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया जाने से राज्य लोक सूचना अधिकारी के स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने के कारण उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।
6. निर्णय की प्रति हस्ब कायदा उभय पक्ष को जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर फैसल शुमार हो।
7. निर्णय आज दिनांक 07.04.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर कोटपूतली-बहरोड (राज.) सत्यमेव जयते

(कल्पना अग्रवाल)
आई.ए.एस.
अपीलीय अधिकारी (कलक्टर),
कोटपूतली बहरोड़

जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड़